न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–रूक्मणि रियार सिहाग, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–109/2022 विविध(धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय–302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड़, जयपुर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री हिमांशु सोनी।

––प्रार्थी

बनाम

1. श्री रूपलाल निवास पता– गांव सिंहपुरा (खूनी चक) तहसील पीलीबंगा एवं सम्पत्ति पता–22(जेआरके) वार्ड नं. 11 गोलूवाला सियागान, नजदीक संदीप सिहाग का मकान गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

––ऋणी

2. श्रीमती रंजना कुमारी, निवास पता–गांव सिंहपुरा (खूनी चक), तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––सहऋणी

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश **दिनांकः–05.04.2023**

प्रार्थी पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय–302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम. आई. रोड, जयपुर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री हिमांशु सोनी की ओर से श्री रामकुमार बिश्नोई वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। कंपनी के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कंपनी से जरिये ऋण करार संख्या 0000356 के द्वारा 6,59,903/– रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्ति स्थित 22(जेआरके) वार्ड नं. 11 गोलूवाला सियागान, नजदीक संदीप सिहाग का मकान, गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.) जो कि श्री रूपलाल के नाम से है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कंपनी के पास रहन किया।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी कंपनी द्वारा अप्रार्थी के ऋण खाता को रिजर्व कंपनी ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशानुसार दिनांक 11.03.2021 को गैर–निष्पादनीय आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

अप्रार्थी के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कंपनी ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 20.07.2021 भेज कर ऋण राशि 6,53,955/–(रूपये छः लाख त्रेपन हजार नौ सौ पचपन रूपये मात्र) दिनांक 30.06.2021 तक बकाया रकम व ब्याज देय निकलते है, की मांग की गई। प्रार्थी कंपनी के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी कंपनी की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि कंपनी को जमा नहीं करवाई है और न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी कंपनी को दिया गया। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कंपनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी कंपनी को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से उपस्थित वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा कंपनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान कंपनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी कंपनी के पास रहनशुदा अचल संपत्ति स्थित 22(जेआरके) वार्ड नं. 11 गोलूवाला सियागान, नजदीक संदीप सिहाग का मकान, गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.) जो कि श्री रूपलाल के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कंपनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी कंपनी को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी कंपनी द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़